



**DISTRICT ELECTION OFFICE, HISAR**  
**जिला निर्वाचन कार्यालय, हिसार।**



विधान सभा आम चुनाव-2024 / तत्काल / तिथिबद्ध

सेवा में

जिले के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष।

यादि क्रमांक निर्वाचन-2024 / 3538 दिनांक 16/8/2024


विषय :-

विधान सभा आम चुनाव, 2024 - चुनाव प्रक्रिया में सहयोग।

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत करवाया जाता है कि आगामी विधान सभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा आगामी दिनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी की जा सकती है। चुनाव घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन को बहुत कम अवधि में अधिक से अधिक कार्य करके चुनाव सम्पन्न करवाने होते हैं। जिसके अतिरिक्त स्टाफ, वाहन, कम्प्यूटर फ़ैक्स टैलिफोन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अतः आवश्यक है कि उक्त वर्णित सभी स्टाफ व साधन मामले पर तुरन्त जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाये।

अतः आपको हिदायत दी जाती है कि आप कृपा जिला निर्वाचन कार्यालय की और से जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर स्टाफ, वाहन, कम्प्यूटर फ़ैक्स मशीन, टैलिफोन व जो भी अन्य वस्तु जिसका चुनाव के दौरान जनहित में उपयोग हो सकता तुरन्त बिना किसी वापसी सदर्म के उपलब्ध करवा दें। यदि कोई भी वाहन या अन्य संसाधन मुरम्मत योग्य है तो इनकी मुरम्मत भी तुरन्त करवा कर तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो जायें।


इसके अतिरिक्त आपको यह भी हिदायत दी जाती है कि आप स्वयं सहित सभी स्टाफ सदस्यों का मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को लम्बा अवकाश स्वीकृत न करें तथा स्वयं भी ऐसा न करवायें। अपने कार्यालय में चुनाव सम्बन्धित आवश्यक डाक प्राप्त करने व प्रेषित करने हेतु एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें जो कि अवकाश के दिनों में भी कार्यरत रहे। कार्यालय चौकीदार को सख्त हिदायत करें कि वह कार्यालय समय के बाद व अवकाश के दिनों में उपस्थित रहे तथा चुनाव सम्बन्धि कोई भी डाक या आदेश प्राप्त होने पर आपको सूचना तुरन्त दें। कृपा आप इसे अति आवश्यक समझे तथा इन हिदायतों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। यह आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
हिसार।

पृ० क्रमांक निर्वाचन-2024 / 3539

दिनांक 16/8/2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
हिसार।